



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062024-254571
CG-DL-E-05062024-254571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2103]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 5, 2024/ज्येष्ठ 15, 1946

No. 2103]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 5, 2024/JYAISHTHA 15, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2024

सं. 39/2024-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का. आ. 2205(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1), के साथ पठित धारा 3, और धारा 5 की उपधारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्न दी गई सारणी के कॉलम 4 में उल्लेखित अधिकारी को कॉलम 3 में उल्लेखित अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन के दायित्व को सारणी के कॉलम 1 में उल्लेखित नोटिसी के संदर्भ में, कॉलम 2 में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसो के न्यायनिर्णयन उद्देश्य हेतु नियुक्त करता है, यथा:-

सारणी

नोटिसी का नाम और पता (मैसर्स)	कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकरण का नाम	नियुक्त की गयी साधारण न्यायनिर्णयन प्राधिकरण
(1)	(2)	(3)	(4)
मैसर्स एडीटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डीएसएम-530, डीएलएफ टावर्स, शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली -110015	कारण बताओ नोटिस 103/2020/एस/एसी/ गुप-I&II/एसीसी-आयात दिनांक 11.12.2019 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), नई दिल्ली से जारी किया गया।	उप/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, मूल्यांकन गुप -I और II, न्यू कस्टम्स हाउस, नई दिल्ली	उप/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, मूल्यांकन गुप -I और II, न्यू कस्टम्स हाउस, नई दिल्ली
	फ़ाइल संख्या एस/3-विविध-02/2021-22 गुप II एसीसी(I) के माध्यम से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, मुंबई से दिनांक 27.04.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, समूह- II, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, आयात सहार, मुंबई।	

[फा. सं. 466/13/2024-सीमा शुल्क.V]

कोमिला पुनिया, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(THE CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2024

No. 39 /2024-Customs (N.T.)

S.O. 2205(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, read with section 3 and sub sections (1) and (1A) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby appoints officer mentioned in column (4) of the Table below to exercise the powers and discharge duties conferred or imposed on officers mentioned in column (3) of the said Table in respect of Noticee mentioned in column (1) of the Table, for purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column (2) therein, namely:-

TABLE

Name of the Noticee(s) and Address (M/s.)	Show Cause Notice Number and Date	Name of Adjudicating Authorities	Common Adjudicating Authority appointed
(1)	(2)	(3)	(4)
M/s ADT INDIA PVT LTD, DSM-530, DLF Towers, Shivaji Marg, Najafgarh Road, New Delhi - 110015	Show Cause Notice 103/2020/AS/AC/Gr.- I&II/ACC-IMPORT dated 11.12.2019 issued from Air Cargo Complex (Import), New Delhi.	Deputy/Assistant Commissioner of Customs, Assessing Group-I & II, New Customs House, New Delhi	Deputy/Assistant Commissioner of Customs, Assessing Group-I & II, New Customs House, New Delhi
	Show Cause Notice	Assistant Commissioner of	

	issued vide File No. S/3-Misc-02/2021-22 Gr. II ACC(I) on 27.04.2021 from Air Cargo Complex, Mumbai.	Customs, Group-II, Air Cargo Complex, Import, Sahar, Mumbai.	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--

[F. No. 466/13/2024Cus.V]

KOMILA PUNIA, Dy. Secy.